श्रीमती परमिंदर चोपड़ा 4 फरवरी, 2022 को आयोजित की गई लेखा परीक्षा समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्या थीं। लेखापरीक्षा समिति की किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), दो सदस्य या कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों सहित सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकार्यों के प्रमुख और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी लेखापरीक्षा की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

लेखा परीक्षा समिति के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्य वित्तीय रूप से सुविज्ञ हैं और लेखा परीक्षा समिति के कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता थी। इसके अलावा, दिनांक 24 सितंबर, 2021 पर आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखा परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष उपस्थित रहे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संप्रेषित किया जाता है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उपबंधों, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 19 और निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय, आरईसी पर लागू सीमा तक, निम्नानुसार है:

क. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, समय–समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय–समय पर यथासंशोधित, में परिकल्पित नामांकन और पारिश्रमिक समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन; और

ग. पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर–संधीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन का परिमाण और ईएसओपी स्कीम, पेंशन स्कीम के लिए नीति आदि सहित डीपीई द्वारा यथाअधिसूचित और समय–समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010 का अनुपालन।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 3 (तीन) बैठक हुईं। 31 मार्च, 2022 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और वर्ष के दौरान हुई इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	एनआरसी की बैठक और उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			7-दिसंबर-2021	4-फरवरी-2022	21-मार्च-2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *7–दिसंबर–2021 से*	👤	👤	👤	3	3	100
2	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	👤	👤	👤	3	3	100
3	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *30–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	👤	👤	2	2	100
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से 30–दिसंबर–2021 के दौरान*	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यपालक निदेशक (एचआर)/अनुभाग प्रमुख (एचआर) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता और निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता से छूट दी थी। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों और मूल्यांकन तंत्र के प्रदर्शन की समीक्षा से संबंधित प्रावधान भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। कंपनी के गैर–कार्यपालक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी, पीएफसी के साथ वित्तीय वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करती है, जिसके प्रमुख मापदंडों को विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, डीपीई द्वारा जारी समझौता–ज्ञापन संबंधी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, समझौता–ज्ञापन मानकों की तुलना में किया जाता है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों सहित कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, समय–समय पर लोक उद्यम विभाग

(डीपीई) और/या भारत सरकार द्वारा जारी वेतन, अनुलाभ, भत्ते आदि संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। गैर–कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों सहित), बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथानिर्धारित सीमा के भीतर बैठक शुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, बोर्ड ने अन्य बातों के साथ–साथ निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक पर एक नीति अपनाई है, जो https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-onBoard-Diversity--Other-matters-dt-150722.pdf पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	अनुलाभ	फार्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभ	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ में अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	जोड़
1	**श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे** सीएमडी 22–फरवरी–2022 से	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**श्री संजय मल्होत्रा** सीएमडी 10–फरवरी–2022 तक	32,21,518	-	-	67,492	-	-	-	**32,89,010**
3	**श्री संजीव कुमार गुप्ता** निदेशक (तकनीकी) 31–अक्टूबर–2021 तक	26,50,732	25,43,826	14,11,164	12,635	20,83,661	2,48,979	53,832	**90,04,829**
4	**श्री अजय चौधरी** निदेशक (वित्त)	51,41,004	29,52,525	1,44,681	1,48,820	-	4,18,076	1,44,250	**89,49,356**
5	**श्री जे एस अमिताभ** कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव	51,24,085	32,52,409	35,909	31,477	-	4,16,718	1,44,113	**90,04,711**

टिप्पणियां:

1. *श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्य करते हुए, 22 फरवरी, 2022 से 9 मई, 2022 के दौरान सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। आरईसी द्वारा उन्हें किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया था।*
2. *श्री संजय मल्होत्रा 10 फरवरी, 2022 तक कंपनी के सीएमडी थे। उनके पारिश्रमिक विवरण केवल उक्त अवधि के लिए सूचित किए गए हैं।*
3. *श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), 31 अक्टूबर, 2021 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। तदनुसार, उनके पारिश्रमिक विवरण 1 अप्रैल, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि के लिए सूचित किए गए हैं।*
4. *प्रदर्शन संबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।*
5. *फॉर्म–16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभों में यूनिफॉर्म, मनोरंजन, बिजली, पानी और परिचर प्रभार और चिकित्सा व्यय/प्रतिपूर्ति में छूट को शामिल नहीं किया गया है।*
6. *वित्तीय वर्ष 2020–21 में, पेंशन अंशदान को एनपीएस खाते में जमा किया गया था। अतः, नियोक्ता के पेंशन अंशदान, फॉर्म–16 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन का भाग है।*
7. *कुल पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत छूट प्राप्त भत्तों को शामिल किया गया है तथा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, आरईसी के उपदान कोष (ग्रेच्युटी फंड) में नियोक्ता के अंशदान को शामिल नहीं किया गया है।*
8. *कंपनी ने कोई भी स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।*
9. *निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक, नोटिस अवधि, निष्कर्षण शुल्क आदि सहित नियुक्ति की शर्तें, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।*

गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर–कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000/– और इसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए 30,000/– के बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) के रूप में प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार थे:–

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
1	श्री विशाल कपूर सरकार द्वारा नामित निदेशक 7–सितंबर–2021 से	-	-	-
2	श्री तन्मय कुमार सरकार द्वारा नामित निदेशक 7–सितंबर–2021 तक	-	-	-
3	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक 15–नवंबर–2021 से	1,20,000	3,60,000	4,80,000

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
4	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक 15–नवंबर–2021 से	1,20,000	3,30,000	4,50,000
5	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक 30–दिसंबर–2021 से	80,000	1,50,000	2,30,000
6	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक 4–फरवरी–2022 से	-	-	-
7	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी द्वारा नामित निदेशक 31–जनवरी–2022 तक	3,60,000	4,20,000	7,80,000
	जोड़	**6,80,000**	**12,60,000**	**19,40,000**

टिप्पणियाँ:

पीएफसी के नामित निदेशक आरईसी के बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार है, जिसका भुगतान पीएफसी को किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा भाग ली जाने वाली बोर्ड और समिति की बैठकों के संबंध में इस तरह के शुल्क का भुगतान किया गया है। हालांकि, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा की नियुक्ति के बाद पीएफसी ने एक पत्र भेजा है कि आरईसी के बोर्ड या समितियों की बैठकों, जिनमें उन्होंने भाग लिया है, के संबंध में कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड या इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के संबंध में एयर टिकट, होटल आवास, वाहन किराए पर लेना, फुटकर व्यय, स्थानीय परिवहन आदि, यदि लागू हों, को छोड़कर, गैर–कार्यपालकों निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या संव्यवहार नहीं है।

3.3 हितधारक संबंध समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 20 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के संदर्भ में एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। हितधारक संबंध समिति विशेष रूप से शेयरधारकों, ऋणपत्र धारकों (डिबेंचरहोल्डर) आदि जैसे विभिन्न प्रतिभूति धारकों से प्राप्त अनुरोधों, शिकायतों या परिवादों जैसे लाभांश क्रेडिट/वारंट का प्राप्त न होना, ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर ब्याज का प्राप्त न होना से संबंधित मामलों के निवारण पर ध्यान देती है।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, हितधारक संबंध समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। ऐसी अवधि के लिए, कंपनी ने जहां तक संभव हो, गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल कर अपनी हितधारक संबंध समिति का गठन किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति समिति की 3 (तीन) बैठकें हुई। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, हितधारक संबंध समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	एसआरसी की बैठकें और उसमें उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			28 - मई - 2021	4 - अगस्त - 2021	28 - अक्टूबर - 2021	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का %
1.	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष *4–फरवरी–2022 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्री प्रवीण कुमार सिंह पीएफसी नामित निदेशक	अध्यक्ष *31–जनवरी–2022 तक*				3	3	100
3.	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य				3	3	100
5.	श्री संजीव कुमार गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य *31–अक्टूबर–2021 तक*				3	3	100

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह (31 जनवरी, 2022 तक) थे, इसके बाद डॉ. दुर्गेश नंदिनी (4 फरवरी, 2022 से) अध्यक्ष बने, ये दोनों ही गैर–कार्यपालक निदेशक थे। श्री जे एस अमिताभ, कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। वह सेबी एलओडीआर विनियमों के संदर्भ में कंपनी के अनुपालन अधिकारी भी हैं।

हितधारक संबंध समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा शेयरों, ऋणपत्रों (डिबेंचर), बंधपत्रों (बॉण्ड) आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता हितधारक संबंध समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। समिति के तत्कालीन अध्यक्ष, प्रतिभूति धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

शेयरधारकों/ऋणपत्र-धारकों (डिबेंचर होल्डर) के अनुरोध और शिकायतें

शेयरधारकों और ऋणपत्र–धारकों के अनुरोधों या शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए, कंपनी ने त्रिस्तरीय तंत्र अर्थात्, संबंधित पंजीयक

से सहायता सेवा, अंतःपरिसर निवेशक प्रकोष्ठ और हितधारक संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी की स्थापना की है, जिसके परिणामस्वरूप सभी शिकायतों को समयबद्ध निवारण सुनिश्चित हुआ।

कंपनी सभी निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों पर निवेशकों की संतुष्टि तक तुरंत और शीघ्रता के आधार पर कार्रवाई करती है। निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रूप से अद्यतन जानकारी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज की जाती है और बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 13 (3) के अनुसरण में शेयरधारकों/निवेशकों से प्राप्त शिकायतों और अनुरोधों की स्थिति निम्नानुसार थी:

विवरण	इक्विटी शेयर	सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति	कुल
1 अप्रैल, 2021 तक की स्थिति के अनुसार लंबित	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	4,670	1,397	6,067
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	4,667	1,397	6,064
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निपटाई न गई शेष शिकायतें	*3	0	*3

**उक्त 3 अनुरोधों/शिकायतों का 31 मार्च, 2022 तक समाधान नहीं किया गया था, जिनका समाधान अब किया जा चुका है।*

निवेशक एससीओआरईएस(सेबी शिकायत निवारण तंत्र) पर अपनी परिवाद या शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो एक वेब–आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है। प्रत्येक शिकायत की स्थिति और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को ऑनलाइन देखा जा सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो निवेशक शिकायतों के लिए रिमाइंडर भेज सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से, निवेशक शिकायतों की स्थिति की जांच करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि किसके पास शिकायत लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और शिकायत कितने समय से लंबित है।

एक निवेशक, जो एससीओआरईएस से परिचित नहीं है या उसके पास एससीओआरईएस तक पहुंच नहीं है, भौतिक रूप में शिकायत दर्ज कर सकता है, या कंपनी को अपनी शिकायत complianceofficer@recl.in पर भेज सकता है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

संगठन के समेकित जोखिम के प्रबंधन के लिए, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क. समेकित जोखिम का प्रबंधन करना;

ख. विभिन्न संभावित जोखिमों की पहचान करना, चलनिधि जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करना, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबंधन योजना, नीतियों और प्रथाओं की समय–समय पर निगरानी और समीक्षा करना;

ग. विभिन्न जोखिमों के शमन की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन संबंधी अन्य सभी प्रकार्यों जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल हो, का निष्पादन करना; तथा

घ. समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, और/या किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए गए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए यथाअपेक्षित किसी भी अन्य प्रकार्य का निष्पादन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के कुछ भाग के लिए, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हो सकी। ऐसी अवधि के लिए, कंपनी ने जहां तक संभव हो, गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल कर अपनी जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया था। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकों आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	आरएमसी की बैठकें और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			19 - जुलाई - 2021	7 - जनवरी - 2022	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक ने भाग लिया	उपस्थिति का%
1	डॉ. गंभीर सिंह *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	📹	1	1	100
2	श्री प्रवीण कुमार सिंह *पीएफसी द्वारा नामित निदेशक*	अध्यक्ष *6–दिसंबर–2021 तक*	👤	लागू नहीं	1	1	100
3	डॉ. मनोज मनोहर पांडे *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *7–दिसंबर–2021 से*	लागू नहीं	📹	1	1	100
4	श्री अजय चौधरी *निदेशक (वित्त)*	सदस्य	👤	👤	2	2	100
5	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य *31–अक्टूबर–2021 तक*	👤	लागू नहीं	1	1	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं लागू नहीं

कंपनी ने आरबीआई द्वारा निर्धारित एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है। सीआरओ आरएमसी के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम समिति में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते है। इसके अलावा, कार्यपालक निदेशक (वित्त–संसाधन), कार्यपालक निदेशक (निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन), कार्यपालक निदेशक (राज्य संचालन) और मुख्य महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) विभाग आरएमसी की बैठकों में आमंत्रित हैं।